

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चीपावास
प भू.अ.नि. को 251 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार शिण्ड की अनुशारा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसारा के आधार पर ग्राम चीपावास तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 23 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
OL	चीपावास	23	किशनलाल पुत्र कालु द्विस्त-पुर्ण जाति-सालवी सा.डे.ए. खातेदार रहित (पूर्वधात) M.A.P.S. शाख) दरीबा	किशनलाल पुत्र कालु द्विस्त - पूर्वजाति-सालवी सा.डे.ए. खातेदार रहित (पूर्वधात) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दरीबा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 12025/141
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 3/10/25

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगर सहायक कलक्टर,